(वाद सं0–384/4/39/2019)

29.07.2021

प्रसंगाधीन मामला, वैशाली, हाजीपुर जिलान्तर्गत महुआ थाना कांड संख्या–429/2019 में परिवादी, गुंजा सिंह के पति, मनीष कुमार, को गलत रूप से फसांये जाने से संबंधित है।

परिवादी की ओर से पुनः एक आवेदन इस आशय का दिया गया कि उसके पति द्वारा पुलिस को स्थानीय अवैध शराब कारोबारी के विरूद्ध शिकायत करने पर अभियुक्तों द्वारा उसके पति की हत्या कर दी गयी। उसकी ओर से अपनी तथा अपने साक्षियों की सुरक्षा हेतु भी राज्य आयोग से अनुरोध किया गया है।

दोनों प्रतिवेदनों पर पुलिस अधीक्षक, वैशाली, हाजीपुर से प्रतिवेदन की मांग की गयी। पुलिस अधीक्षक, वैशाली, हाजीपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि परिवादी के पति, मनीष कुमार, की हत्या से संबंधित महुआ थाना कांड संख्या–02/2020 के अन्तर्गत 09 प्राथमिकी अभियुक्तों के विरूद्ध उनकी संलिप्तता को सत्य पाया गया तथा इस कांड के अग्रिम अनुसंधान का प्रभार अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना को सौंप दिया गया है।

पुलिस अधीक्षक, वैशाली, हाजीपुर के उक्त प्रतिवेदन के आलोक में राज्य अयोग द्वारा अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना से प्रतिवेदन की मांग की गयी।

अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि 'परिवादी के पति के राजनीतिक प्रतिद्वंदी, अविनाश राय, द्वारा षड्यंत्र रचकर महुआ थाना कांड संख्या–429/19 में परिवादी का नाम दिलवा दिया गया ताकि उसके पति पैक्स चुनाव–2019 में चुनाव लड़ने से अयोग्य हो जाये, लेकिन परिवादी के पति को न्यायालय द्वारा जमानत दे दी गयी तथा वह चुनाव भी जीत गये। बाद में परिवादी के पति की दिनांक–02.01.2020 को गोली मारकर हत्या कर दी गयी। इस हत्याकांड के संबंध में उक्त अविनाश राय सहित छः प्राथमिकी अभियुक्तों के विरूद्ध महुआ थाना कांड संख्या–02/2020 संस्थित किया गया है।

कांड संख्या–429/19 के अन्तर्गत परिवादी के पति को छोड़कर शेष सभी 13 अभियुक्तों की संलिप्तता को सत्य पाया गया है तथा कुल चार अभियुक्तों के विरूद्ध अनुसंधानोपरांत आरोप पत्र भी समर्पित किया जा चुका है।

जब परिवादी के पति के विरूद्ध पूरक अनुसंधान जारी था, तभी इसी बीच राजनितिक प्रतिद्वंदिता एवं अन्य कारणों से परिवादी की पति मनीष कुमार की हत्या कर दी गयी, जिसके संबंध में भा0द0वि0 की धारा 302/120 बी व शस्त्र अधिनियम की धारा–27 के अन्तर्गत महुआ थाना कांड संख्या–02/2020 संस्थित किया गया, जो वर्त्तमान में अन्वेषणाधीन है।

परिवादी के पति की हत्या से संबंधित मामला वर्त्तमान में अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना के समक्ष अन्वेषणान्तर्गत है।

उक्त के आलोक में परिवादी द्वारा अपने पति की हत्या में तत्कालीन आरक्षी अधीक्षक, वैशाली, हाजीपुर की भूमिका पर भी संदेह व्यक्त किया है। अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना से यह अनुरोध है कि प्रसंगाधीन कांड के अन्वेषण के क्रम में इस आरोप पर भी निष्पक्ष जांच की जाय कि क्या वैशाली के तत्कालीन आरक्षी अधीक्षक द्वारा मृतक मनीष कुमार के मोबाईल नम्बर को जगजाहिर कर देने से शराब माफियाओं द्वारा प्रतिशोधस्वरूप परिवादी के पति की हत्या कर दी गयी है ?

अब, जबकि प्रसंगाधीन हत्या कांड अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत अन्वेषणान्तर्गत है तो ऐसे मामले में समान्यतया अन्वेषणान्तर्गत कांड के संबंध में राज्य आयोग द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। राज्य आयोग अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार से यह अपेक्षा अवश्य करती है कि मामले की गम्भीरता को देखते हुए यथाशीघ्र प्रसंगाधीन कांड का अन्वेषण समाप्त कर आरोप पत्र/अंतिम प्रपत्र न्यायालय में समर्पित करना सुनिश्चत करें।

वर्णित स्थिति में प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना के प्रतिवेदन के आलोक में राज्य आयोग के स्तर से इसे संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना के प्रतिवेदन की प्रति संलग्न कर तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक